समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

दिल्ली हिंसा पर बड़ा एक्शन, RAF जवान पर हमले के बाद 10 एफआईआर दर्ज; उपद्रवियों की पहचान मे जुटी पुलिस

Sanket Morankar

Published on 22 Jul 2026

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान पर कथित रूप से भीड़ द्वारा हमला किए जाने के मामले में अब तक कुल **10 एफआईआर** दर्ज की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों और विभिन्न वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात RAF के एक जवान को भीड़ ने घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। हमले में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने तथा कानून-व्यवस्था भंग करने के विभिन्न मामलों में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे अधिक चार मामले संसद मार्ग थाने में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा कनॉट प्लेस थाने में तीन तथा मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने के मामले में भी अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। संसद और अन्य संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। इस मामले में सरकारी आदेश की अवहेलना से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जांच एजेंसियां घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने जिन प्रमुख धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं, उनमें लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक पर हमला, गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, दंगे के लिए उकसाना, हत्या का प्रयास, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (PDPP Act) की संबंधित धाराएं शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सुरक्षा बलों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.